–:नीलामी सूचना:–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र के गाजियाबाद बस स्टेशन पर स्थिति वातानुकूलित फूड–प्लाजा के टेण्डर की विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है जिस हेतु इच्छुक संस्था/कम्पनी/फर्मे भाग ले सकती है। टेण्डर फार्म रूपया–2000.00+जी0एस0टी0 जमा कर सक्षम अधिकारी के कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते है, या ऑनलाईन टेण्डर निगम की बेबसाईट से डाउनलौड कर कार्यालय को प्राप्त कराया जा सकता है।

1..	**टेण्डर क्रय करने का स्थान**	क्षे0प्र0 कार्यालय, कौशाम्बी गा0बाद दि0 10–05–2018 से 22–05–2018
2	**टेण्डर मूल्य रूपये**	2000/–(रू0 दो हजार)+जी0एस0टी0 जो नॉन रिफेन्डेबल, व अहस्तांतरणीय होगा।
3.	**टेण्डर भरकर जमा करने की तिथि व स्थान**	दि0 23–05–2018 को समय 14 बजे तक। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0परिवहन निगम 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद।
4.	**टेण्डर खुलने की तिथि व समय**	**दिनॉक 23–05–2018 अपरान्ह में 15.00 बजें**
5	**वातानुकूलित फूड–प्लाजा संचालन की अवधि**	तीन वर्ष हेतु ।

डिपो	स्टाल का नाम	आरक्षित मुल्य प्रतिमाह
गाजियाबाद बस स्टेशन	**वातानुकूलित फूड–प्लाजा**	62,500/–प्रतिमाह **टैक्स अतिरिक्त**

टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ **ऑफर की गयी धनराशि के तीन माह के समतुल्य** का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। वातानुकूलित फूड–प्लाजा निर्मित है, जिस पर कोई भी बदलाव परिवहन निगम की बिना अनुमति के नही किया जायेगा। विद्युत व जनरेटर की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। जिसका मासिक बिल समय से संबंधित विभाग में जमा किया जाना संबंधित फर्म की जिम्मेदारी होगी।

कैन्टीन से सम्बन्धित नियम व शर्ते कार्यालय दिवस में कभी भी देखी जा सकती हैं। मासिक किरायें में प्रत्येक वर्ष **10%** की वृद्वि होगी। फर्म को जो वातानुकूलित केन्टीन की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसको पूर्व निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा। स्टाल नियमावली–2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में फूड–प्लाजा जिस स्थिति में उसी में संचालन की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

1–जिस बस स्टेशन के लिऐ निविदा दी जा रही है उस डिपो/बस स्टेशन का नाम लिफाफे पर अकिंत करना होगा, व फर्म का नाम व पूर्ण पता लिखना अनिवार्य होगा। एक निविदा एक ही बस स्टेशन हेतु मान्य होगी। **निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल के आवंटन हेतु प्रत्येक स्टाल के लिऐ रू0 10,000/– अर्नेस्ट मनी जमा करायी जायेगी, जो फूड–प्लाजा स्वीकृति पर रिफन्डेबल होगी।**

2–फर्म को फूड–प्लाजा में वातानुकूलित संयत्र एवं उपकरण अपने स्तर से व्यवस्था करनी होगी, फर्म अनुबंध समाप्ति के उपरान्त ऐसे उपकरण वापस ले जा सकते है, यदि उन पर परिवहन निगम का कोई देयक न हो।

3–निविदा दाता फूड–प्लाजा लेने से पूर्व ईकाई/स्थान को अवलोकित कर सकते है।

4–प्रतिष्ठित फर्म को वरीयता प्रदान की जायेगी, परन्तु प्रस्तावित दर आरक्षित मूल्य से कम होने पर निविदा स्वीकृत नही की जायेगी।

5–परिवहन निगम से ब्लैक लिस्टेड, परिवहन निगम का बकायेदार, परिवहन निगम के साथ किसी भी न्यायालय में योजित वाद–विवाद, की फर्मे एवं उनके परिवार के सदस्य टेण्डर प्रक्रिया में भाग नही ले सकते है।

6–निविदा में भाग लेने वाली फर्मो को निविदा फार्म के साथ तीन वार्षिक टर्न ओवर, जो सी0ए0 से प्रमाणित हो संलग्न करने होगें।

7–अन्य बातो में समान होने, समान प्रस्तावित दर प्राप्त होने की दशा में कैटरिंग/जलपान व्यवसाय में अनुभवी फर्मो को वरीयता प्रदान की जायेगी। जिस हेतु प्रपत्र सलग्न करने अनिवार्य होगें।

8–ऐसी फर्म जो किसी भी सरकारी उपक्रम से ब्लैक लिस्टेट, डिफाल्टर, कोई बकाया होने, निविदा प्रक्रिया हेतु प्रतिबंधित रहेगी, कार्यालय की जानकारी में आने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुऐं, अनुबंध निरस्त कर

Downloaded from www.upsrtc.com

दिया जायेगा, परिवहन निगम द्वारा अनुबंध का अनुपालन न करने के कारण अनुबंध समाप्ति वाली फर्मे इस निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित रहेगी।

9–चयनित फर्म/संस्था को संबधित विभाग जैसे–सर्विस टैक्स, ई0पी0एफ0, टिन न0, लेबर विभाग आदि में एक माह के अन्दर या कार्य आरम्भ करने से पूर्व वैधानिक प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुऐं निगम को सूचना देनी होगी, अन्यथा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

10–खान–पान से संबंधित लाईसेंस फर्म/संस्था को लेना फूड–प्लाजा संचालन से पूर्व लेना अनिवार्य होगा। अधिकतम समय दो माह के अन्दर समस्त लाईसेंस चयनित फर्म को लेने होगें।

11–टेण्डर फार्म को ऑन लाईन भी डाउन लौड किया जा सकता है, डाउन लौड किये गये टेण्डर फार्म के साथ टेण्डर फीस व प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट अलग–अलग संलग्न किये जायेगें। टेण्डर फीस की मद में रू0 2000/+ 18प्रति0जी0एस0टी0–का बैंक ड्राफ्ट जो Regional Manager U.P.S.R.T.C. GZB के नाम देय होगा। www.upsrtc.com से डाउन लौड कर सकते है। टेण्डर फीस नॉन रिफेन्डेबल होगी।

12–निविदा प्रक्रिया में केवल निविदादाता फर्मो के प्रो0/पार्टनर/अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते है, प्रतिनिधियों को फर्मो का प्रमाण–पत्र निविदा प्रक्रिया के समय देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में भाग लेने नही दिया जायेगा।

13–निविदा में खुली बोली का कोई प्रावधान नही होगा।

14–किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार, टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार, सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

क्षेत्रीय समिति द्वारा चयनित दो फर्मो की उच्चतम दर की प्रतिभूति के बैंक ड्राफ्ट रोकते हुऐं, उनको परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा, जहॉं से अनुमोदन उपरान्त चयनित फर्म को संचालन आदेश व अनुबंध किये जायेगें। इस अवधि में संबंधित फर्मो के बैंक ड्राफ्ट परिवहन निगम के पास सुरक्षित रहेगें, जिन पर कोई भी ब्याज देय नही होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कौशाम्बी,गाजियाबाद।

पत्रांकः 4152 **/क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/ठेका–नीलामी/2018 दिनांकः–10–05–2018**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ईमेल के माध्यम से प्रेषितः–

1– मुख्य प्रधान प्रबंधक(संचालन)/प्रधान प्रबन्धक (विविध/एमआईएस/मार्केटिग), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।

2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।

3– सहायक प्रबंधक(एम0आई0एस0) लखनऊ को विज्ञप्ति बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

4– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,.................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5– सेवा प्रबंधक/ सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम, खुरजा/ बु0शहर/ सि0बाद/ हापुड/लोनी/साहिबाबाद/कौशाम्बी/आनन्दविहार/गाजियाबाद बस स्टेशन/ अजमेरी गेट बस स्टेशन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

6– नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन।

7– tender@upsrtc.com पर प्रकाशित करने हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

TENDER 22

Downloaded from www.upsrtc.com